देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/smj/01 E-Newsletter, Issued in Public Interest शनिवार, 11 जनवरी 2020

राज्य में शराबखोरी को बढ़ावा देने वाले नियमों को बदलने पर राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का हार्दिक आभार

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/bkr/01 E-Newsletter, Issued in Public Interest शुक्रवार, 9 जनवरी 2020

चले थे राज्य में शराबबंदी करने!

नए नियम लागू करने से शराबखोरी/ओवररेट/अवैध-नकली शराब/रात 8 बजे बाद शराब की बिक्री के मामलों में बढ़ोतरी के साथ अवैध निर्माणों के मामले भी बढ़ेंगे|

गत वर्ष दिसम्बर माह में बिहार भेजी थी टीम,प्रदेश में शराबबंदी के दिए थे संकेत

प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा राज्य में भी शराब बंदी के संकेत देते हुए आबकारी विभाग आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त(निति) श्री छोगाराम देवासी के नेतृत्व में पांच सदस्यों की टीम बिहार भेजी थी|इस टीम को बिहार में शराबबंदी के बाद अपराधों में आई कमी,सरकार को राजस्व बंद होने से हो रहे नुकसान,सामाजिक प्रभाव और पर्यटन पर पड़ रहे विपरीत प्रभावों का अध्ययन करना था|गहलोत का मानना था कि गुजरात में सही तरीके से शराबबंदी नहीं हुई है जिससे वहां पर अवैध शराब का कारोबार फलफूल रहा है|गहलोत की सोच के अनुसार गुजरात की जगह बिहार में शराबबंदी सही तरीके से की गयी है|

क्या राजस्थान में भी होगी शराबबंदी?

बिहार में शराबबंदी के परिणामों की स्टडी करने जाएगी आबकारी विभाग की टीम

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड़,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा,302012 मोबाइल:-9828346151 पेज 1

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग से 30 फिट चौड़ी सड़कों पर होटल बार खोलने के नियमों को बदलने को कहा

वित्त विभाग ने नए वर्ष की पहली तारीख को ही राज्य के होटल और रेस्टोरेंट में बार का लाईसेंस देने के नियमों में संशोधन करते हुए राज्य में शराबखोरी को बढ़ावा देने के संकेत दिए थे|जिस का विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध करने पर गहलोत सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए रद्द करने के आदेश दिए है|

मद्द संयम निति की कढाई से होगी पालना

गहलोत ने कहा है कि हमारी सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए दृढ संकल्पित है और राज्य में मद्द संयम निति की कठोरता से पालना की जायेगी|

आबकारी विभाग को पारदर्शी,जवाबदेही बनाने और इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने के लिए कार्य योजना बनाने के दिए आदेश

साथ ही गहलोत द्वारा ने आबकारी विभाग में बढ़ रहे इंस्पेक्टर राज पर भी चिंता जताई और आबकारी विभाग को पारदर्शी,जवाबदेही बनाने और इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने के लिए कार्य योजना बनाने के दिए आदेश दिए|

गली-गली रेस्टोरेंट और होटल में बार खोलने का मामला

दिनभर होता रहा विरोध, रात को नियम बदलने के दिए निर्देश

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. प्रदेश के विभिन्न शहरों में 30 फीट की गलियों में होटल और रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस की अधिसूचना को सरकार ने शुक्रवार रात निरस्त करने के निर्देश दे दिए। हालांकि दो दिनों से आवासीय क्षेत्र में बार खोलने को लेकर लागू किए गए नए नियमों का विरोध शुरू हो गया था। सरकार के इस बदलाव के विरोध में शुक्रवार को नशामुक्त भारत अभियान राजस्थान और राजस्थान नशाबंदी समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। समिति ने शहर में जगह जगह शराब की दुकान व बियर बार खोलने के फैसले की निंदा की है। नशामुक्त भारत आंदोलन के संयोजक सवाई सिंह ने बयान जारी कर कहा कि एक तरफ तो सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रही है, दूसरी तरफ 30 फुट सड़कों पर शराब की दुकानों व बियर बार खोलने की अनुमति दे रही है। यह गांधी के आदर्शों के खिलाफ है। विरोध को लेकर जुटी बैठक में राजस्थान नशाबंदी समिति के धर्मवीर कटेवा, नशामुक्त भारत आंदोलन के बसंत हरियाणा, राजस्थान नागरिक मंच के आर.सी.शर्मा, अनिल गोस्वामी, जमाते इस्लामी हिन्द के प्रदेशाध्यक्ष नजीमुद्दीन खान व पवन देव शामिल थे। वहीं इससे पहले पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने शराब बिक्री बढ़ाने को लेकर 30 फीट रोड पर खुले होटल एवं रेस्टोरेंट को भी लाइसेंस जारी करने के निर्णय को तुरंत वापिस लिए लेने की मांग की।

अधिसूचना के बाद शराब बंदी पर बैठक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. एक ओर आबकारी विभाग की ओर से शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए एक जनवरी [illegible]ना जारी की गई, वहीं दू[illegible] ओर शराब बंदी के लिए गठित हाइपावर कमेटी की बैठक शुक्रवार को बुलाई गई थी। बैठक में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अधिसूचना जारी करने का विरोध किया।

बैठक में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग गलत तथ्य पेश कर रहा है। उन्होंने विहार दौरे के बाद आबकारी विभाग की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। बैठक जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की अध्यक्षता में बुलाई गई। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के अलावा गृह, आबकारी व वित्त विभाग के अधिकारी शामिल थे।

मुख्यमंत्री गहलोत बोले-मद्य संयम नीति की कड़ाई से पालना होगी

30 फीट के रास्ते पर बार लाइसेंस की अधिसूचना होगी निरस्त

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. प्रदेश के विभिन्न शहरों में 30 फीट की गलियों में होटल और रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस की अधिसूचना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के आदेश दिए।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार मद्य संयम नीति की कड़ाई से पालना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में गहलोत ने राज्य में आबकारी विभाग को इंस्पेक्टर राज से मुक्त कर पारदर्शिता व प्रभावी सुधार के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने 9 जनवरी के अंक में 'गली-गली खुल सकेंगे होटल-रेस्टोरेंट में बार' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।

फॉलोअप

राजस्थान पत्रिका
प्र[illegible] खबर।

इसके बाद कई संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री को पत्र तक लिख लिए थे। बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव आयोजना अभय कुमार, शासन सचिव वित्त (राजस्व) डॉ. पृथ्वीराज सहित वित्त एवं आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पढ़ें **30 फीट** @ पेज 15

युवाओं को मादक द्रव्य से दूर रखने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हमने रात आठ बजे शराब की दुकानों को बंद करने, ई-सिगरेट पर प्रतिबंध और हुक्का बार पर रोक लगाई। आमजन में इनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। बैठक में मुख्यमंत्री ने निरोगी राजस्थान को जन आंदोलन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है।

(देखें पेज 07 भी)

गहलोत बोले- आबकारी वि[illegible] को इंस्पेक्टरराज से मुक्त करें

सीएम के आदेश-30 फीट चौड़ी गलियों में संचालित होटल व रेस्त्रां में बार बंद होंगे

जयपुर | प्रदेश में 30 फीट की गलियों में स्थित होटल और रेस्त्रां में चल रहे बार बंद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात सीएमओ में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में ऐसे बार को लाइसेंस देने वाली अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश दिए।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अपनी मद्य संयम नीति की कड़ाई से पालना कराने में कोई कसर नहीं छोड़गी। उन्होंने आबकारी विभाग को इंस्पेक्टरराज से मुक्त कर सिस्टम में पारदर्शिता और प्रभावी सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए।

सरकार लोगों को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए प्रतिबद्ध

सीएम ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हमने 8 बजे शराब की दुकानों को बंद करने, ई सिगरेट और हुक्काबारों पर प्रतिबंध जैसे सख्त फैसले लिए। गहलोत ने कहा कि 'पहला सुख निरोगी काया' की अवधारणा के अनुरूप राज्य में निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में सिरमौर बनाने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

Scanned with CamScanner